बिना अनुमति लगे पंडाल बन रहे जाम का कारण, हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में त्योहारी सीजन के दौरान सड़कों और उनके किनारे लगाए जा रहे पंडालों व स्वागत द्वारों से आमजन को हो रही परेशानियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिविजन बेंच ने मुख्य सचिव व रायपुर नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए शपथ पत्र के साथ जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को तय की गई है।

शासन ने कहा: राज्य शासन की ओर से कोर्ट में बताया गया कि इस तरह के आयोजनों की अनुमति और निगरानी का जिम्मा पूरी तरह नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों का है। शासन ने पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर रखे हैं कि किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

पंडाल केवल मैदानों में लगाने की मांग

उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी में अब इतना ट्रैफिक हो चुका है कि सड़कों पर पंडाल का बोझ उठाना संभव नहीं रह गया है। प्रशासन को चाहिए कि पंडाल लगाने की अनुमति केवल खुले मैदानों या सार्वजनिक स्थलों तक ही सीमित रखे, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था और नागरिक जीवन में अवरोध ना हो।

भीड़भाड़, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था पर असर

सिंघवी ने बताया कि, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय राजधानी रायपुर में कुल वाहनों की संख्या एक लाख से भी कम थी, जो अब बढ़कर 80 लाख के पार हो चुकी है। सड़कों की चौड़ाई वही रही, लेकिन दोनों ओर वाहनों की पार्किंग आम हो गई है। ऐसे में सड़कों पर पंडाल और स्वागत द्वार लगाने से ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है, जिससे आम नागरिकों की दिनचर्या और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं।

2022 से 2024 तक नहीं दी अनुमति, फिर भी सैकड़ों पंडाल

याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2022 से 2024 तक न तो कलेक्टर कार्यालय और न ही रायपुर नगर निगम के किसी भी जोन से सड़क पर या सड़क किनारे पंडाल लगाने की कोई अनुमति जारी की गई। इसके बावजूद हर साल गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के दौरान सैकड़ों पंडाल सड़कों पर खड़े कर दिए जाते हैं। याचिका के समर्थन में कोर्ट में 100 से अधिक तस्वीरें भी प्रस्तुत की गईं।